

कार्यालय नगर पालिक निगम , रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1354 / रा.वि. / नपानि / 2020

रायगढ़ दिनांक... 28-10-2020

॥ आठवां ऑफर दर आमंत्रण सूचना ॥


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ स्वामित्व के केवड़ाबाड़ी बस स्टैंड प्रथम तल स्थित दुकानों को यथा स्थिति में लीज पर दिये जाने हेतु ऑफर दर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति / संस्थान दिनांक 17.11.20 समय 05.1.00 बजे तक अपना ऑफर दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से बंद लिफाफा में निर्धारित अमानत राशि के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त ऑफर दिनांक 18.11.2020 को समय 04.1.00 बजे ऑफरदाताओं के समक्ष दर खोली जाएगी। ऑफर प्रपत्र कार्यालयीन समयावधि में दिनांक 16.11.2020 तक शुल्क 500/- रु. जमा कर प्राप्त कर सकते हैं।

दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	दुकान क्रमांक	आरक्षण स्थिति	साईज वर्गफीट में	ऑफसेट प्राईज	अमानत राशि	मासिक किराया
1	27	अ.जा.	100	1,54,400/-	15,440/-	618/-
2	28	अ.जा.	100	1,54,400/-	15,440/-	618/-
3	32	अ.जा.	100	1,54,400/-	15,440/-	618/-
4	33	अ.जा.	100	1,54,400/-	15,440/-	618/-

नियम व शर्तें:-

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किया जावेगा।
2. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र तथा अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, आयुक्त नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. किसी भी ऑफर को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के पास सुरक्षित होगा, इस हेतु कोई कारण नहीं बताया जावेगा।
4. अन्य नियम एवं शर्तें ऑफर प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी तथा कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट www.nagarnigamraigarh.com पर अवलोकन एवं डाउनलोड की जा सकती है।



आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


रायगढ़ दिनांक... 28.10.2020

पृ.क्रमांक / 1354 / रा.वि. / नपानि / 2020
प्रतिलिपि:-

1. मान.महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. राजस्व प्रभारी, मेयर इन काउंसिल, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
3. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सूचनार्थ।
4. कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु तथा वेबसाइट में अपलोड हेतु।
5. संपादक को सूचनार्थ अपने आगामी अंक में साईज में एक दिवसीय प्रकाशित कर समाचार पत्र की प्रतियों के साथ देयक भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

आयुक्त

नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)



कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 13.54... /रा.वि./न.पा.नि./2020

रायगढ़ दिनांक 28.10.2020


॥ दुकानों की ऑफर हेतु नियम व शर्त ॥

1. नगर निगम द्वारा जारी ऑफर प्रपत्र ही स्वीकार किये जावेंगे ।
2. नगर पालिक निगम रायगढ़ के बकायादारों का ऑफर दर स्वीकार नहीं होगा ।
3. एक लिफाफा में एक ही ऑफर प्रपत्र एवं एक ही अमानत राशि का डी.डी. संलग्न करना होगा ।
4. ऑफर प्रपत्र में किसी प्रकार का शर्त उल्लेख करने पर ऑफर स्वीकार योग्य नहीं होगा ।
5. ऑफर आमंत्रण सूचना में दर्शित निर्धारित अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक संलग्न करना होगा अन्यथा ऑफर प्रथमतः निरस्त माना जावेगा ।
6. आरक्षित वर्ग के दुकानों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. आरक्षित वर्ग की दुकानों के लिये पात्र व्यक्ति ही प्रमाण पत्र के साथ ऑफर दर प्रस्तुत कर सकते हैं अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ऑफर स्वीकार नहीं होगा ।
8. प्रथम एवं द्वितीय ऑफरदाता का अमानत राशि रोककर शेष ऑफरदाताओं का डी.डी. वापिस किया जावेगा ।
9. नगर पालिक निगम, रायगढ़ कि आधिपत्य की दुकानें छ.ग. नगर पालिक निगम अचल संपत्ति का अंतरण नियम 1994 के प्रावधान अनुसार अंतरण की जायेगी ।
10. उच्चतम ऑफरदाता को ऑफर दर स्वीकृति सूचना के 24 घंटे के भीतर उच्चतम ऑफर की 25 प्रतिशत राशि जमा करना होगा, शेष 75 प्रतिशत राशि को 30 दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। जमा अमानत राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किया जावेगा। निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर जमा राशि राजसात करते हुए आबंटन निरस्त कर दी जावेगी।
11. स्वीकृत प्रीमियम एवं किराया राशि में नियमानुसार शासन द्वारा निर्धारित जी.एस.टी. जमा करना होगा ।
12. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा करने के पश्चात् ही द्वितीय बोलीदार/ऑफरदाता की अमानत राशि वापिस की जावेगी।
13. प्रथम उच्चतम ऑफरदाता द्वारा सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर 25 प्रतिशत राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए, द्वितीय ऑफरदाता की राशि स्वीकृत करते हुए राशि जमा करने हेतु सूचित किया जावेगा। द्वितीय ऑफरदाता द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए दुकान पुर्ननीलामी की कार्यवाही की जावेगी।
14. उच्चतम ऑफर स्वीकृति के पश्चात् लीज धारी स्वयं के व्यय से नियमानुसार निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करेगा तथा पंजीयन खर्च वहन करेगा।
15. लीजधारी द्वारा किराये की राशि प्रत्येक 30 तारीख के भीतर जमा करेगा। अन्यथा 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना होगा।

क्रमः

--2--

16. लीज अवधि 03 वर्ष के लिये होगा लीज अवधि समाप्ति के एक माह पूर्व लीज नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा तदुपरान्त अगले 03 वर्ष के लिये विस्तार योग्य होगा तथा किराये में 15 प्रतिशत तक वृद्धि कर लीज नवीनीकरण किया जा सकेगा।
17. दुकान यथा स्थिति में हस्तांतरित किया जावेगा दुकान में किसी प्रकार का निर्माण या अन्य व्यय हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार का राशि देय नहीं होगा।
18. भवन की वार्षिक मरम्मत रंगाई, पोताई किरायेदार को स्वयं करना होगा, बिजली कनेक्शन एवं बिजली व्यय किरायेदार को स्वयं करना होगा।
19. आरक्षित दुकान किसी अन्य संवर्ग को हस्तांतरणीय नहीं होगा। ऐसा पाये जाने पर निगम आयुक्त को अधिकार होगा की आबंटन निरस्त कर दे।
20. दुकान में किसी प्रकार का स्वरूप में परिवर्तन आयुक्त के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
21. लीज धारी को जिस तल में जिस साईज की दुकान आबंटित की गई हो उतने में ही उसको किरायेदारी का हक होगा। उपर तल या नीचले तल में संबंधित किरायेदार का दावा/अधिकार नहीं होगा।
22. लीज धारी के द्वारा निर्धारित समय पर किराया नहीं पटाने एवं लीज नवीनीकरण नहीं कराने पर दुकान से बेदखली की कार्यवाही की जा सकेगी।
23. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर निगम आयुक्त बेदखली की कार्यवाही करने के लिये सक्षम होगा।
24. किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर निगम रायगढ़ का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।



आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)